(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2092–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 167/अपील/2010–11.

बाबूलाल पिता नरसिंह कुरमी
निवासी ग्राम बोधवाड़ा बुर्जुग
तहसील व जिला धार ....आवेदक

विरूद्ध

रामबिहारी पिता मनोहरलाल जोशी
निवासी महात्मा गांधी मार्ग, धार ....अनावेदक

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अर्पित अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बाबूलाल द्वारा नायब तहसीलदार, धार के समक्ष संहिता की धारा 109 व 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बोधवाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 200 रकबा 3.794 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 199/1 रकबा 5.394 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में अनावेदक के नाम दर्ज है । उपरोक्त भूमि में से सर्वे कमांक 200 रकबा 3.794 हेक्टेयर पर वह लगभग 40 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा है, अतः अनावेदक के स्थान पर उसका नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–4–1984 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2010 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–10–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1998 में पारित आदेश के विरूद्ध 20 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और तहसील न्यायालय के आदेश की सूचना पटवारी द्वारा अनावेदक को दी गई थी । उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर आदेश पारित किया गया था, अतः अपर आयुक्त के केवल समयावधि के बिन्दु पर ही विचार कर आदेश पारित करना था, परन्तु उनके द्वारा गुण–दोष पर अंतिम आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक के अतिरिक्त अन्य लोगों के नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज थे, परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व दिनांक 20–10–1983 को सुधाकर राव की मृत्यु हो चुकी थी एवं दिनांक 3–12–1960 को कन्हैया लाल की मृत्यु भी हो चुकी थी । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा मृतकों के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, और न ही तहसील न्यायालय द्वारा उनके वारिसान को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा किसी दाउदयाल पर सूचना पत्र की तामीली गई है, जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है ।

(4) आवेदक द्वारा 40 वर्ष से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रारंभ से ही अवैधानिक एवं शून्यवत आदेश के संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है, और ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 355, 1987 ए.आई.आर. (सु.को.) 1353, 2002 आर.एन. 412, 2010 आर.एन. 259, 2010 आर.एन. 111, 2010 आर.एन. 215, 2010 आर एन. 225, 2006 आर.एन. 351, 1997 आर.एन. 345, 2012 आर.एन. 108 एवं 2004 (Vol. 1)भाग एक एम.पी. वीकली नोट, शार्टनोट 72 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में अनेक सह खातेदार हैं, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण कार्यवाही में किसी को भी सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है, और उनके द्वारा इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि तहसील न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि के सह खातेदारों को कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर